न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, म•प्र• ग्वालियर

R-2474-III/14

गनेश ढीमर तनय अजुद्दी ढीमर

निवासी-ग्राम रानीपुरा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़, म•प्र•

•••आवेदक

।। बनाम ।।

ननुआ उर्फ लन्जुआ ढीमर, तनय पुनुआ ढीमर,

निवासी-ग्राम रानीपुरा, तहसील जतारा, जिला टीकमगढ़, म•प्र•

•••अनावेदक

आज 31/7/14 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत ... 31/7/14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म•प्र•भू•रा•संहिता 1959

विरुद्ध अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग, सागर के प्र•क्र•376/अ-19 वर्ष 2002-2003 में पारित आदेश दिनांक 19•12•13 से दुखित होकर

आवेदक की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है:-

1• यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम रानीपुरा में स्थित भूमि ख•नं• 829/1 रकवा 0•304 हे0 पर आवेदक का कब्जा 2 अक्टूबर 1984 के पूर्व से होने के कारण उसने दखलरहित अधिनियम 1984 के तहत उक्त भूमि का व्यवस्थापन किये जाने बावत् विधिवत् रूप से आवेदन पत्र तहसीलदार वृत्त मोहनगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर प्र0क्र0 13/अ-19 वर्ष 96-97 दर्ज किया । तथा प्रकरण में विधिवत् रूप से इस्तहार जारी किया गया निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति न आने पर पटवारी रिपोर्ट ली गई तथा दिनांक 8•1•2001 को व्यवस्थापन आदेश आवेदक के पक्ष में पारित किया गया है

2• यह कि, प्रकरण में तहसीलदार मोहनगढ़ द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण क्र•54/अ-6-अ वर्ष 93-94 में पारित आदेश दिनांक 31•3•95 द्वारा

गनेश ढीमर

(36)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग. 2474–तीन/14 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–12–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 19–12–13 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 31–7–14 अर्थात 5 माह विलंब से पेश की गई है । विलंब क्षमा का जो आवेदन है उसमें ऐसे कोई समाधान कारक कारण नहीं दिये गये हैं, जिनके आधार पर विलंब क्षमा किए जाने पर विचार किया जाये । इसके अतिरिक्त यह अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कलेक्टर, टीकमगढ़ द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को म0प्र0 शासन दर्ज किए जाने संबंधी आदेश की पुष्टि की गई है तथा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि उभयपक्ष प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज हों तो उनके विरूद्ध अतिकमण कार्यवाही की जाये । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके आदेश में प्रथमदृष्टया कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार न होने एवं यह निगरानी अवधि बाह्य होने के कारण अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	